Scheduled Castes and Scheduled Tribes Graduates Registered in Delhi for the Posts of Trained Graduate Teachers and Post-Graduate Teachers

7799. SHRI AMBESH: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes trained graduates registered in Delhi for the post of Trained Graduate Teachers ; and

(b) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes post-Graduates registered in Delhi for the post of post-Graduate Teachers, subject-wise ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) and (b).

Category of Teachers	Number on Live Register of Employment Exchanges in Delhi as on 30th June, 1971	
	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
1	2	3
1. Trained Graduate Teachers	32	—
2. Post-Graduate Teachers Total :	28	—
(i) Economics	9	—
(ii) Political Science	6	—
(iii) English	3	—
(iv) Hindi	3	—
(v) Sociology	2	—
(vi) Mathematics	1	—
(vii) Physics	1	—
(viii) Geography	1	—
(ix) History	1	—
(x) Sanskrit	1	—

महाराष्ट्र में वर्षा की कमी के कारण केन्द्रीय सहायता

7800 **श्री ई० वी० विरबे पाटिल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में गत दो वर्षों में वर्षा अत्यन्त अपर्याप्त रही थी जिसके कारण से महाराष्ट्र सरकार को इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजनी पड़ी ,

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार ने उक्त योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार से क्या सहायता मांगी है , और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस योजना के अधीन महाराष्ट्र सरकार को अब तक कितनी धनराशि की मंजूरी दी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र के कुछ भागों में पिछले वर्ष की रबी की फसलों और इस वर्ष की खरीफ की फसलों के लिए अपर्याप्त वर्षा हुई है। राज्य सरकार इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजती रही है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए सहायता की मांग करती रही है । औरंगाबाद डिवीजन के पांच जिलों और शोलापुर तथा अहमद नगर जिलों और अन्य 6 जिलों के कुछ भागों में बहुत ही कम वर्षा होने के कारण अन्तिम अनुरोध 7 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुआ है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार इस मामले पर राज्य सरकार के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए है और फरवरी, 1971 में स्थल पर स्थिति का अध्ययन करने और अपेक्षित केन्द्रीय सहायता की मात्रा का अन्दाजा लगाने के लिए एक दल भेजा था । दल ने जून, 1971 में फिर राज्य का दौरा किया था और बाद में 31 जुलाई, 1971 को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था । इन अध्ययनों के

परिणामस्वरूप, 1970-71 और 1971-72 के दौरान केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र राज्य में राहत उपायों पर खर्च करने के लिए कुल 12.35 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई थी। राज्य के कुछ भागों में सूखा रहने के बारे में हाल ही में प्राप्त रिपोर्ट और 7 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर राहत उपायों पर खर्च करने के लिए जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि की सीमा 6 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी।

(ग) महाराष्ट्र में राहत उपायों पर खर्च करने के लिए निर्धारित उपर्युक्त सीमा में से 1970-71, 1971-72 के वर्षों के लिए अब तक दी गई कुल केन्द्रीय सहायता 8.5 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, कृषि इनपुट खरीदने के लिए कुल 10 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण सहायता भी दी गई है।

कृषि और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारित करना

7801. **श्री ई० वी० बिरवे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि को उद्योग मानती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण में समान सिद्धान्त अपनाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग). कृषि तथा उद्योग में महत्वपूर्ण अन्तर है, अतः उनको हर पहलू से एक समान नहीं माना जा सकता है। शायद माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण में एक समान मानती है। औद्योगिक उत्पादों के मामले में, सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि कृषि उत्पादों के लिए लागू किए जाने वाले मूल्य इस स्तर पर निश्चित किए जायें कि उनमें खेती की लागत निकल आये और किसान को उचित लाभ भी प्राप्त हो सके। किन्तु उद्योग के मामले में उत्पादन लागत का हिसाब लगाना बहुत आसान है, किन्तु अति भिन्नता, पर्याप्त आंकड़ों आदि के अभाव के कारण कृषि उत्पादों के मामले में ऐसा करना अधिक कठिन है। कृषि उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारित करते समय खेती की लागत सम्बन्धी उपलब्ध आकड़ों को ध्यान में रक्खा जाता है।

कृषि तथा प्राणी-विज्ञान में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिए संस्थान

7802. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजना की क्रियान्विति की देख-रेख करने वाले सस्थान का नाम क्या है;

(ख) ऐसी छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ग) उन संस्थानों/विश्वविद्यालयों आदि के क्या काम हैं जहां प्राणी-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में डाक्टरेट करने की सुविधायें उपलब्ध है तथा प्रत्येक संस्थान में कितने छात्रों को किन-किन विषयों में छात्रवृत्तियां प्राप्त हो रही हैं; और

(घ) क्या सरकार इन छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि और पशु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर